

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता,सिमडेगा।

दाखिल खारिज वाद संख्या - 12/2007 - 2008

दिनांक.....

रामकुमार अग्रवाल

बनाम

मोतीलाल बड़ाईक

प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद की कार्यवाही आवेदक रामकुमार अग्रवाल पिता स्व० इन्द्रमल अग्रवाल ग्राम लचरागढ़ थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 17/2006 - 2007 दिनांक 23.06.2006 को अंचल अधिकारी कोलेबिरा द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अपील दायर किया गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या - 12/2007 - 2008 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

मौजा	थाना/थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
बानो	बानो/59	276	120	0.07 ए०

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 11.09.2007 को दोनो पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया था। दिनांक 20.02.2008 को अंचल अधिकारी कोलेबिरा से निम्न न्यायालय से न्यायालय की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी कोलेबिरा के द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 23.05.2014 से दिनांक 05.08.2022 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्षों व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को दाखिल खारिज वाद संख्या 17/2006 - 2007 वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय का बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या 17/2006 - 2007 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सिमडेगा।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सिमडेगा।